

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 725
दिनांक 07 फरवरी, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर
मेरठ चिकित्सा महाविद्यालय का उन्नयन

725. श्री अरुण गोविल:

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मेरठ के चिकित्सा महाविद्यालय का उन्नयन कर इसमें एम्स जैसी सुविधा दी जा सकती है क्योंकि इस अस्पताल के पास 151 एकड़ भूमि है, जिसमें से 62 एकड़ भूमि रिक्त पड़ी हुई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हरित क्षेत्र से संबंधित नियमों में छूट भी दी जाए तो क्या उक्त उन्नयन से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को कम कीमत पर एम्स जैसी सुविधा प्रदान किए जाने और इससे लोगों को लाभ मिलने की संभावना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौजूद एम्स की संख्या क्या है और लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज का उन्नयन एम्स में करने में क्या कठिनाई आ रही है; और

(घ) यदि उक्त चिकित्सा महाविद्यालय का उन्नयन एम्स के रूप में नहीं किया जाता है तो सरकार द्वारा मेरठ में एक नया एम्स कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ) उत्तर प्रदेश राज्य में प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के तहत, दो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) एक रायबरेली में और दूसरा गोरखपुर में स्थापित किए गए हैं, जो कार्यशील हैं। इसके अलावा, इस योजना के एक अन्य घटक के तहत मेरठ में लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज का उन्नयन केंद्र-राज्य सरकार लागत साझेदारी के आधार पर 150 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सा - 120 करोड़ रुपये और राज्य का हिस्सा - 30 करोड़ रुपये) की लागत से किया गया है, जिसमें 60 आईसीयू बेड और 15 डायलिसिस बेड सहित 261 बेड वाले सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक का निर्माण किया गया है, जिसमें 6 विभाग अर्थात् 6 ऑपरेशन थियेटर (ओटी) सहित कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, और बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी शामिल हैं। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के वर्तमान चरण में मेरठ में नए एम्स की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है। जन स्वास्थ्य एवं अस्पताल राज्य का विषय है और चिकित्सा अवसंरचना के सुदृढीकरण का प्राथमिक उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का है।
